कार्यालय नगर परिषद् तेन्दूखेड़ा जिला दमोह म.प्र.

क्रमांक/229/न.परि./स्था./ 2024

तेन्दूखेड़ा ,दिनांक 22.08.2024

//विज्ञापन//

विशेष भर्ती अभियान के तहत दिव्यांगजन के लिये आरक्षित निम्न पदों की पूर्ति के लिये पात्र अभ्यार्थियों मे संलग्न प्रारुप पर आवेदन आमंत्रित किये जाते है। आवेदन दिनांक 23.08.2024 से दिनांक 09.09.2024 समय सायं 05:30 बजे तक आवेदन पत्र स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक/पब्लिक कोरियर से प्रेषित करें । निर्धारित समय अवधि मे आवेदन पत्र प्राप्त ना होने की स्थिति मे उन पर विचार नही किया जावेगा। डाक के माध्यम से विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र के लिये निकाय/कार्यालय उत्तरदायी नही होगा।

क.	पद का नाम	पद की श्रेणी	वेतनमान	दिव्यांगजनों की लिए आरक्षित वर्गवार रिक्तियां				निर्धारति योग्यता	पत्र अभ्यार्थियों को वॉक–इन–इन्टरव्यू की तिथि एवं समय की सूचना पृथक से दी जायवेगी।
				दृष्टिबाधित और कम दृष्टि	बहरे और कम सुनने वाले	लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित हैं, सेरेब्रल पाल्सी ,कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटेक पीडित,मस्कुलर डिस्ट्राफी	ऑटिज्म,बौद्विक दिव्यांगता,स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	सफाई	सीधी भर्ती (नियमित)	15500–49000	0	0	1	0	5वीं पास	11.10.2024
	सफाई संरक्षक	(संविदा)	8000 मासिक	0	0	1	0	5वीं पास	11.10.2024

मुख्य शर्तें:–

1. आवेदक को म.प्र. का मूल निवासी होना अनिवार्य हैं। 2. इस विज्ञापन के जारी होने के दिनांक को आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से एवं अधिकतम 45 वर्ष होना चाहियें। 3. आवेदक का म.प्र. राज्य रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। 4. आवेदक का विवाह निर्धारित आयु (पुरुष के लिये 21 वर्ष, महिला के लिये 18 वर्ष) के पूर्व हो गया हो तो उक्त पद के लिये अयोग्य माना जायेगा। 5. प्राप्त

आवेदनों की जांच के बाद मैरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को वॉक–इन–इंटरव्यू/साक्षात्कार के लिये आमंत्रित किया जावेगा। 6. यह कि दिव्यांग जनों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्व चयनित होने वाले अभ्यर्थियों के निशक्तता का प्रतिशत 40 प्रतिशत या अधिक पाए जाने पर ही कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा। 7. शासन के आदेश के अनुसार ,कोई भी अभ्यार्थी जिसके 02 से अधिक जीवत सन्ताने है ,जिसमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ है तो ऐसा अभ्यार्थी नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा, लेकिन यदि एक बच्चा जीवित है और बाद के प्रसव में दो या अधिक सन्ताने जन्म लेती है तो उसे अयोग्य नही माना जावेगा। 8. वॉक–इन–इंटरव्यू के लिये आने वाले आवेदकों को किसी प्रकार का यात्रा अथवा अन्य भत्ता देय नही होगा। 9. आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले अभिलेख स्वयं अथवा राजपत्रिक अधिकारी से प्रमाणित होने चाहिये। 10. भर्ती से संबंधित अन्य जानकारी निकाय के सूचना पटल पर देखी जा सकती है। 11. नियुक्ति से संबंधित सभी अधिकार नियुक्ति प्राधिकारी के पास सुरक्षित होगे। 12. आवेदन भेजने का पता मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद् तेन्दूखेड़ा जिला दमोह(म.प्र.) पिन 470880 13. आवेदन पत्र एवं अन्य जानकारी निकाय की स्थापना शाखा एवं विभागीय वेब साईट **www.mpurban.gov.in** पर देखी जा सकती है।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद् तेन्दूखेड़ा(दमोह)
तेन्दूखेड़ा, दिनांक–22.08.2024

पत्र पृ.क्रमांक/न.प./स्था./2024/230

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त महोदय नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
2. आयुक्त महोदय, सागर संभाग सागर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. कलेक्टर महोदय, जिला दमोह की ओर सूचनार्थ।
4. संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास सागर संभाग सागर की ओर सूचनार्थ।
5. परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण जिला दमोह की ओर सूचनार्थ।
6. जिला पंचायत जिला दमोह की ओर सूचनार्थ।
7. अध्यक्ष नगर परिषद तेन्दूखेड़ा जिला दमोह की ओर सूचनार्थ।
8. कार्यालय सूचना पटल पर चस्पा हेतु।
9. संपादक .... की ओर प्रकाशन हेतु।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद् तेन्दूखेड़ा(दमोह)